श्री जय प्रकाश महर्षि, प्लॉट संख्या 62(33) की बजरी खनन परियोजना ग्राम–तालिबपुरा, अमीनपुरा, नवाबपुरा, तहसील एवं जिला–टोंक का जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

श्री जय प्रकाश महर्षि, प्लॉट संख्या 62(33), ग्राम–तालिबपुरा, अमीनपुरा, नवाबपुरा, तहसील एवं जिला–टोंक खनन पट्टा क्षेत्रफल 62.34.26 हेक्टेयर तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,48,866.72 TPA (ROM) हेतु जन सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के प्रावधानों की अनुपालना मे तथा कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32815 दिनांक 16.10.2025 (संलग्नक–अ) के अनुक्रम मे दिनांक 06.12.2025 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान कार्यालय तहसीलदार, टोंक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक, जिला–टोंक (राज॰) की अध्यक्षता मे आयोजित की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई निम्न अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गयीः–

1. श्री राम रतन सौंकरिया, अति॰ जिला कलेक्टर एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।
2. श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी।

जनसुनवाई मे उपस्थित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति–पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–ब)। उक्त जन सुनवाई के लिए नियमानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र "द इण्डियन एक्सप्रेस" मे दिनांक 31.10.2025 और स्थानीय समाचार पत्र "टोंक भास्कर" मे दिनांक 31.10.2025 को आम सूचना निर्धारित जन सुनवाई से नियमानुसार 30 दिवस पूर्व प्रकाशित की गई थी, समाचार पत्रों की प्रतियाँ संलग्न है (संलग्नक–स)। जनसुनवाई की विडियो रिकोर्डिंग डी.वी.डी./पेन ड्राईव एवं फोटो ग्राफ संलग्न है (संलग्नक–द)।

श्री राम रतन सौंकरिया, अति॰ जिला कलेक्टर एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट, टोंक की अनुमति से जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

अति जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जन–समूह को जन सुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जनसमूह से यह अपील की कि वे परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा खनन परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जायेगी उसे सुने तत्पश्चात् यदि इसके बाबत कोई सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दे जिसमें आपका नाम तथा गाँव आदि बतावें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझे हमें दे सकते है।

उन्होने यह भी अवगत कराया कि इस जन सुनवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव या शिकायत दी जायेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जन सुनवाई में होने वाली कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी की जा रही है। हम आपके लिखित/मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझाव/शिकायत/आक्षेप/आपत्ति कलमबद्ध करके वीडियो रिकोर्डिंग मय फोटोग्राफ्स के साथ कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) बनाकर नोटिफिकेशन के अनुपालना स्वरुप राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) राजस्थान को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, बून्दी ने परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना मय क्लस्टर के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराने हेतु आमंत्रित किया।

इसके पश्चात श्री जय प्रकाश महर्षि के प्रतिनिधि श्री वेद प्रकाश महर्षि के द्वारा परियोजना की संक्षिप्त जानकारी दी गई और विस्तृत जानकारी के लिए पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स एन्वायरोनमेंटल एंड इंजिनियरिंग सर्विसेज इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री अमित त्यागी को आमंत्रित किया। श्री अमित त्यागी ने प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना के बारे में उपस्थित जनसमुदाय को विस्तृत जानकारी पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी जिसमें खनन परियोजना का परिचय देते हुए खनन पटटे की स्थिति/जगह, खनिज, खनन पट्टा की श्रेणी, संदर्भ की शर्तो के पत्र की जानकारी, समाचार पत्र में जन सुनवाई हेतु जारी विज्ञापन की जानकारी, क्लस्टर का लोकेशन मैप, क्लस्टर मे आने वाली खनन पट्टे की गूगल इमेज, निकटतम गाँव, निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग, निकटतम रेल्वे

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

अति. जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

स्टेशन, निकटतम हवाई अड्डा, 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र में जल निकायों की जानकारी, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, क्लस्टर क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति को दर्शाता हुआ मानचित्र, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं यथा प्रकृति, आकार, खनन पट्टा क्षेत्र, उत्पादन क्षमता, क्लस्टर पट्टा क्षेत्र, कलस्टर की कुल उत्पादन क्षमता, टोपोशीट, लागत, पर्यावरण प्रबन्धन योजना, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बजट की जानकारी, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य, खनन की विधि, कुल खनन योग्य भण्डार, खदान की आयु, खनन की गहराई, भू–जल तालिका, विद्युत की आवश्यकता, रोजगार सृजन, पानी की आवश्यकता, जल गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति, ध्वनि गुणवत्ता की स्थिति, क्लस्टर स्थिति के मामलों मे विशिष्ट टीओआर, क्लस्टर पर्यावरण प्रबन्धन योजना, वायु गुणवत्ता प्रबन्धन, जल गुणवत्ता प्रबन्धन, ध्वनि और कम्पन प्रबन्धन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जैविक पर्यावरण की जानकारी, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, हरित पट्टिका विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के उपाय, परियोजना के लाभ आदि से सम्बधित जानकारी प्रदान की गई।

तत्पश्चात् श्री शिव कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने सुझाव/विचार/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमन्त्रित किया। उपस्थित जन–समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझाव/विचार/आपत्ति/आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:–

1. **श्री सुरज कुमार चौधरी पुत्र श्री राम रतन जाट, डारड़ा हिन्द तहसील–टोंक, जिला–टोंक** द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना से आस–पास के ग्रामीणों के रोजगार देने के लिए क्या प्रावधान है?

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार श्री अमित त्यागी ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा लगभग 35 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

अति जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned with OKEN Scanner

2. श्री दिनेश गुर्जर पुत्र श्री राम कुमार गुर्जर निवासी ग्राम–भोपाल नगर, तहसील व जिला–टोंक ने कहा कि इस बजरी खनन की परियोजना से सभी ग्रामवासियों को फायदा होगा एवं रोजगार मिलेगा तो अच्छी बात है। जो लोग बेरोजगार बैठे हुए है, उन्हे भी रोजगार मिलेगा।

3. श्री भैरू लाल गुर्जर पुत्र श्री रंगलाल गुर्जर, निवासी ग्राम–तालिबपुरा, तहसील व जिला–टोंक ने कहा कि यह अच्छी बात है कि हमारे गाँव मे यह परियोजना चलेगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा हमें उसमें कोई आपत्ति नही है।

4. श्री राम दीन पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी ग्राम–तालिबपुरा, तहसील व जिला टोंक ने कहा कि यह जों बजरी खनन चालू होने जा रहा है, इससे हमे बहुत फायदा मिलेगा इससे निर्माण कार्यों के लिए बजरी उपल्बध होगी।

5. श्री काना राम जाट पुत्र श्री दुर्गा लाल जाट ग्राम–काला नाडा, तहसील व जिला–टोंक ने पूछा कि खनन परियोजना चालू होने पर आप–पास के क्षेत्र में पेड़–पौधे लगाने की क्या योजना है?

परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार श्री अमित त्यागी ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना के अर्न्तगत लगभग 20,573 पेड़–पौधे लगाये जाएंगे। स्थानीय प्रजातियो के पेड़ पौधो को प्राथमिकता दी जाएगी जैसे नीम, खेजडी, शीशम आदि

श्री शिव कुमार क्षेत्रीय अधिकारी ने लोगों से कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस परियोजना के सम्बन्ध में अपनी बात, सुझाव, आपत्ति आदि लिखित में देना चाहे तो दे सकता है उसे कार्यवाही विवरण में सम्मिलित किया जाएगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक, जिला–टोंक ने कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने अभी जो चीजे पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन में दिखाई व बताई तथा यहाँ जो वायदे किये है व जो आपके प्रस्ताव है उनको आप पूरा करे। आस–पास के गाँव में यदि किसी आम आदमी को कोई परेशानी न हो इस तरह से काम करें। इस तरह कि परियोजना से मुख्य परेशानी यह होती है कि बजरी परिवहन से सड़के खराब हो जाती है। ग्रामीण सड़को में भारी वाहनों के परिवहन/संचालन की क्षमता नही होती है

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

अति.जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned with OKEN Scanner

तथा भारी वाहनों के परिवहन से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। अतः इन चीजो से बचना चहिए ताकि आपके व्यापार से गाँव वालो को कोई समस्या नही होगी चाहिए। यह अच्छी बात है कि गाँव के किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नही की है। इस स्थिति में आपका और अधिक दायित्व बनता है कि गाँव वालो का सहयोग करे, स्थानीय लोगों को रोजगार दे, पर्यावरण की क्षति को नगण्य करें ताकि पर्यावरण व वहाँ के स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो। पेड़–पौधे ग्राम पंचायत से संपर्क कर उनके अनुसार बताई गयी भूमि पर लगाने चाहिए एवं लगाये गये पौधो का रख–रखाव भी करना चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि पौधे लगाकर छोड़ दिये व वह जल व रख–रखाव के अभाव में मर गये। पौधे लगाने का मतलब यह है कि जो पौधे लगे वह जीवित रहे, बडे होकर वृक्ष बने। परियोजना प्रस्तावक ने यहाँ जो भी वादे किये है, वे उन्हे पूरा करे, खनन नियमानुसार करे, खनन जलस्तर से उपर ही करे व खनन 2 मीटर से अधिक गहराई तक न करे, सभी प्रवधानो व नियमों का पालना करते हुए खनन करें। गाँव के व्यक्ति, पशु, पक्षी, पर्यावरण को खनन परियोजना से नुकसान नही पहुचना चाहिए।

उक्त जनसुनवाई के दौरान / पहले / बाद मे कोई भी लिखित आक्षेप / आपत्ति / सुझाव प्राप्त नही हुए हैं।

अंत मे जन सुनवाई की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(शिव कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
बून्दी (राज.)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

(राम रतन सौंकरिया)
अति॰ जिला कलेक्टर एवं
अति॰ जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक (राज.)
अति.जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक – अ

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रमाकः– /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32815 दिनांकः–यथा हस्ताक्षर

पर्यावरण अभियन्ता व क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बून्दी।

JEE(P)
16/10/25

विषयः– Public hearing for Environment Clearence for District Tonk.

उपरोक्त विषयान्तर्गत पर्यावरण जनसुनवाई हेतु टोंक जिले की तहसील टोंक में स्थित ग्राम तालिबपुरा, अमीनुपरा, नवाबपुरा में बजरी माइनिंग प्रोजेक्ट चालू किये जाने हेतु निम्नानुसार जनसुनवाई का समय, स्थान व दिनांक नियत किया जाता हैः–

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्राप्ति क्रमांक 774
दिनांक 16/10
बून्दी (राज.)

क0सं0	पत्रावली पत्रांक व दिनांक/फर्म का नाम	ग्राम का नाम	निर्धारित समय, स्थान व दिनांक
1	पत्रांक 1216 दिनांक 12.09. 2025 जय प्रकाश महर्षि	तालिबपुरा, अमीनुपरा, नवाबपुरा	कार्यालय तहसीलदार, टोंक दिनांक 06.12.2025 प्रातः 11.00 बजे।

पर्यावरण जनसुनवाई के लिए कम से कम दो बडी एलईडी स्कीन, उच्च गुणवत्ता का साउण्ड सिस्टम एवं आगंतुकों की पर्याप्त बैठक व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(राम रतन सौंकरिया)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

क्रमाकः– /न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2025/32816–21 दिनांकः–यथा हस्ताक्षर
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रभारी अधिकारी स्थापना/पुल कलेक्ट्रट, टोंक।
2. उपखण्ड अधिकारी टोंक।
3. तहसीलदार टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई संबन्धित पटवारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश प्रदान करें।
4. सहायक खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक।
5. श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, सहायक प्रशानिक अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

Document certified by Ram Ratan Sonkaria <coo.jjn@gmail.com>.
Digitally Signed by Ram Ratan Sonkaria
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :16-10-2025 11:57:15

RajKaj Ref No.: 18319030
eSign DSC

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक : ब

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स जय प्रकाश महर्षि, प्लॉट नं. 62(33) की प्रस्तावित बजरी खनन परियोजना, खनन क्षेत्रफल 62.3426 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,48,866.72 TPA (ROM) निकट ग्राम तालिबपुरा, अमीनपुरा, नवाबपुरा, तहसील–टोंक, जिला–टोंक (राज.) मय कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 2055.3640 हेक्टेयर खनन परियोजना हेतु आयोजित पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 06.12.2025 (शनिवार) को स्थान कार्यालय तहसीलदार–टोंक, जिला–टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे में उपस्थित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्रकः–

क्र.स.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Ram Ratan Sonkariya	ADM Tonk	[signature]
2	Shiv Kumar	R.O. RPCB, Bundi	[signature]
3-	वैदयकान्त महर्षि	P.No.-S80A बरकत नगर टोंक फाटक जयपुर मु०आ	[signature]
4	जितेन्द्र सिंह नरूका	AAO	[signature]
5	Dileep Kumar Meena	AEE, RSPCB, Bundi	[signature]
6	उम्मेद सिंह	ग्राम - उरको मालपुरा	Umed Singh
7	Nitin Mishra	Jaipur	[signature]
8	रामदेव	मालपुरा	रामदेव
9	प्रेम	मालपुरा	प्रेम
10	शिवराज	चन्दलाई	[signature]
11	धर्मराज	छिवारिया	[signature]
12	रामजीवन	पालड़ी	रामजीवन
13	रतनलाल	—	रतनलाल
14	मोडु लाल	— पालड़ा	[signature]
15	गोदू	पालड़ा	गोदू

मैसर्स जय प्रकाश महर्षि, प्लॉट नं. 62(33) निकट ग्राम तालिबपुरा, अमीनपुरा, नवाबपुरा, तहसील–टोंक, जिला–टोंक की जन सुनवाई दिनांक 06.12.2025 का उपस्थिति पत्र

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
16	रामफूललाल	टोंक	[signature]
17	पन्नालाल	पालड़ा	पन्नालाल
18	रहावीर सिंह	खनिज विभाग / टोंक	[signature]
19	विक्रम मेहरा	दूनी जूनियां	विक्रम
20	दिपेन्द्र गुर्जर	जूनियां	[signature]
21	छोटू लाल गुर्जर	जूनियां	[signature]
22	अजय साहू	दूनी	[signature]
23	नीरज गुर्जर	जूनियाँ	नीरज गुर्जर
24	सागर सिंह गुर्जर	जूनियाँ	सागर
25	किशन गोपाल गुर्जर	जूनियां	[signature]
26	सत्यनारायण	दूनी	सत्यनारायण
27	धनराज चौधरी	दूनी	धनराज
28	विक्रम कुमार मेहरा	दूनी	विक्रम मेहरा
29	लखन शर्मा	दूनी	लखन शर्मा
30	अभिषेक चौधरी	जूनियाँ	अभिषेक चौधरी
31	हिम्मतराज	जूनियाँ	Himmat Raj
32	रामकिशन गुर्जर	जूनियाँ	रामकिशन
33	अंकित नामा	दूनी	Amit Nama
34	सियाराम चौधरी	टोंक	Siyaram
35	[illegible] दिनेश	माधवनगर	[signature]
36	हेमेन्द्र गुर्जर	जूनियां	[signature]

मैसर्स जय प्रकाश महर्षि, प्लॉट नं. 62(33) निकट ग्राम तालिबपुरा, अमीनपुरा, नवाबपुरा, तहसील–टोंक, जिला–टोंक की जन सुनवाई दिनांक 06.12.2025 का उपस्थिति पत्र

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
37	विवेक	अमिनपुरा	Vivek
38	गोपाल	अमिनपुरा	[illegible]
39	सचिन	अमिनपुरा	Sachin
40	रामसिंह	अमिनपुरा	रामसिंह
41	आरिफ	[illegible]	[illegible]
42	जितेन्द्रसिंह	अमिनपुरा	जितेन्द्र
43	सूरज	डारडा हिन्द	[illegible]
44	राकेश चौधरी	कालानाड़ा	Rakesh
45	[illegible]	[illegible]	Ramu
46	राधेश्याम	~~[illegible]~~ डारडा हिन्द	Radhe
47	गणेश चौधरी	जयपुर	गणेश
48	रजत चौधरी	टोंक	[illegible]
49	नवदीपसिंह	टोंक	[illegible]
50	सियाराम जाट	पालड़ा	सियाराम जाट
51	रामकिशन	टोंक	रामकिशन
52	राहुल चौधरी	जयपुर	Rahul
53	सोमेश चौधरी	अमीनपुरा	Som
54	कुलदीप चौधरी	चिरोंज	Kul
55	देवेन्द्र – जाट	चिरोंज	देवेन्द्र
56	अभिषेक चौधरी	चिरोंज	अभि
57	रुकमरायधन	चिरोंज	[illegible]

मैसर्स जय प्रकाश महर्षि, प्लॉट नं. 62(33) निकट ग्राम तालिबपुरा, अमीनपुरा, नवाबपुरा, तहसील–टोंक, जिला–टोंक की जन सुनवाई दिनांक 06.12.2025 का उपस्थिति पत्र

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
58	देवेन्द्र चौधरी	डांडी सुर्द	Devendra
59	Rakesh choudhary	नवाबपुरा	[illegible]
60	रोहित शर्मा	नवाबपुरा	Rohit
61	Manindra Gour	fees, Jaipur	[illegible]
62	Amit Tyagi	" "	[illegible]
63	Jeevraj Jat	नवाबपुरा	[illegible]
64	DESH Raj	[illegible]	[illegible]

Annexure - C

क की मौत, ग्रामीणों ने शव उठाने नहीं दिया

जिससे उनकी मौके पर ही ... गई। हादसे की खबर मिलते ... संख्या में ग्रामीण मौके पर ... और आक्रोश व्यक्त करते ... प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ... डेढ़ घंटे तक शव नहीं उठाने ... मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस की समझाइश और परिजनों को उचित आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।

अजय गुजरात के एक सोलर प्लांट फैक्ट्री में कार्यरत था

कुछ समय पहले ही उनके जीजा रामप्रसाद की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वे अपनी बहन नीतू को पीहर ले जाने के लिए देवली आया था। मगर बहन से मिलने से पहले ही हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। हनुमान नगर पुलिस ने शव को स्थानीय राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाद में पुलिस ने परिजनों की सहमति बनने पर मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों से भड़के विद्यार्थी, परीक्षा पुनः कराने की मांग

भास्कर न्यूज | देवली

महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएसयू) की ओर से आयोजित परीक्षा में 'आउट ऑफ सिलेबस' प्रश्न आने पर विद्यार्थियों में आक्रोश फैल गया। इसे लेकर छात्र एकता परिषद, देवली की ओर से परीक्षा नियंत्रक के नाम देवली कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि बीए हिंदी वर्ग के चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी साहित्य विषय के आधुनिक कथा साहित्य पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे गए जो निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे। छात्रों का कहना है कि पेपर आधुनिक कथा साहित्य, कहानी और उपन्यास पर आधारित होना था, जबकि प्रश्न 'स्किल इन असेसमेंट कोर्स' (हिंदी साहित्य कथा पर कथेत्तर गद्य साहित्य, आत्मकथा एवं जीवनी विविध विधाओं) से पूछे गए। विद्यार्थियों का कहना है कि जो छात्र केवल आधुनिक कथा साहित्य की तैयारी करके परीक्षा देने पहुंचे थे, वे पेपर हल करने में असमर्थ रहे। इस पर छात्रों ने मांग की कि विश्वविद्यालय या तो सभी छात्रों को बोनस अंक प्रदान करे या फिर यह प्रश्न पत्र पुनः आयोजित कराए। इस दौरान छात्रसंघ महासचिव इमरान पठान, विशाल मीणा, आदिल खान, नरेन्द्र, कौशल, देवेंद्र, सुनील, हेमंत, दिलकुश, हरीश, मनीषा, शुभांगी, पूजा, कुमकुम सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।

गारंटी अवधि में टूटी सड़क, लोग परेशान

रानोली। राज्य सरकार ने टोंक से फागी मार्ग को स्टेट हाईवे 121 घोषित किया हुआ है। इसका निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। नाथड़ी से अरनिया कांकड़ तक 28 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठेका शुभम कांट्रेक्टर को लगभग 14 करोड़ रुपए में दिया था। निर्माण कार्य का आरंभ 7 नवंबर 2021 को हुआ और सम्पूर्ण कार्य की तिथि 6 फरवरी 2023 रखी गई थी, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है।

निर्माण के बाद सड़क एक वर्ष के अंदर ही कई जगहों से टूट गई। दो साल नौ महीने बाद भी मरम्मत नहीं कराई गई है, जिससे गांवों में सीसी रोड का निर्माण भी नहीं हो पाया है। भाजपा ओबीसी मंडल पीपलू के पूर्व अध्यक्ष कमलेश चंदेल बनवाड़ा ने बताया कि गड्ढों और टूटी सड़क की मरम्मत के लिए कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायतें दी गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासक गिरांज प्रजापत के अनुसार नाथड़ी से अरनिया कांकड़ तक सड़क जर्जर हो चुकी है। जिससे आवागमन के 28 किलोमीटर में दो से तीन घंटे लगते हैं।

पूर्व सरपंच बाबूलाल मीणा ने कहा कि शिकायतें करने पर भी विभाग झूठे जवाब देकर निस्तारण करता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीपलू के सहायक अभियंता शुभम खंडेलवाल ने बताया कि टूटी सड़क का पेंचवर्क जल्द ही किया जाएगा और सीसी रोड निर्माण के लिए ठेकेदार सामग्री एकत्रित कर रहा है।

बारिश से सरसों की फसल पर विपरीत असर

मालपुरा। क्षेत्र में बिगड़े मौसम ने आमजन और किसानों को भारी परेशानियों में डाल दिया है। पिछले सोमवार से लगातार मौसम खराब बना हुआ है, जिसमें बारिश और हवा ने लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। गुरुवार को दिन भर बादल छाए रहे और रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रही, जिससे ठंड बढ़ गई और लोग गर्म कपड़ों में लिपटते नजर आए। बारिश के कारण सितंबर में शुरू हुए शहर के व्यास सर्किल से सुभाष सर्किल होते हुए गांधी पार्क तक लगभग 500 मीटर की सीमेंट सड़क निर्माण का कार्य अधूरा रह गया है। इस सड़क का निर्माण दो महीने से बंद होने से शहरवासियों और दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। सरसों की बुवाई काफी देर से दिवाली त्योहार के बाद हुई थी। जिन किसानों ने पहले से बुवाई कर दी थी, उन्हें अब सरसों से अधिक गेहूं और चना की बुवाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि बारिश से सरसों की फसल को नुकसान हुआ है।

REGIONAL OFFICE

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-Mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/ RO Bundi/ PUB-157/1472 Date: 17/10/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] TPA (ROM), [illegible] टोंक, जिला-टोंक (राज.) [illegible] TPA (ROM) [illegible] प्रस्तुत किया गया है।

2. [illegible] के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. [illegible] जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

3. [illegible] कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक [illegible] जिला टोंक [illegible]

अतः [illegible] दिनांक [illegible] 2025 [illegible] दिनांक 06.12.2025 [illegible] कार्यालय तहसीलदार टोंक, तहसील-टोंक, जिला-टोंक में समय प्रातः 11.00 बजे [illegible] आपत्ति/ आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। [illegible] क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी, जिला-बूंदी [illegible] प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं., बूंदी

भास्कर CLASSIFIED BhaskarAd.com

Indian Express
31-10-2025

Annexure -C

NT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH
CURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002.

signor/Original Lender") have been assigned to Edelweiss Asset
mentioned clearly in column provided. Pursuant to the said assign-
cured creditor. That EARC, in its capacity as secured creditor, had
ARFAESI Act and Rules there under.
in general and in particular to the Borrower and Guarantor (s) that
Creditor, the physical possession of which has been taken by the
at is", and "Whatever there is" basis, for recovery of the amounts
es/costs thereon deducted for any money received by EARC from
oned below for each property.

FOR AUCTION:

Due 2025	Reserve Price (In Rs)	Earnest Money Deposit (EMD) In Rs	Date & Time Of Auction	Type of Possession
/- /-	₹ 30,00,000/-	₹ 3,00,000/-	20.11.2025 AT 11:30 AM	Physical

tial Property Situated At Gram Paduna Palwar Madal, Paduna,
tr. Bounded As The:- East- Amba Mata Temple, West- Self

ereby recalled/withdrawn any earlier Auction Notice from

/-	₹ 9,00,000/-	₹ 90,000/-	04.12.2025 AT 12:00 noon	Physical

Floor, Plot No. B-25 (West Part Of Plot No. B-25), Scheme-
) Sq. Fts. And Bounded On The- East By: Plot No. B-26,

diate effect and this notice shall be considered.

uction Process:

n Company Limited-EMD Account" and payable at Mumbai.
WEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED -
SC Code: IFSC ICIC0000004
f auction
ST Road, Kalina, Mumbai-400098
issarc.in)
site - https://auction.edelweissarc.in/

EARC's website i.e. https://auction.edelweissarc.in

Sd/- Authorized Officer
delweiss Asset Reconstruction Company Limited

SS
tion

Floor,

Aavas
SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

NCIERS LIMITED under the Securitisation and
002 and in exercise of powers conferred upon me
ules 2002, issued a Demand Notice calling upon the
otice within 60 days from the date of receipt of the said
ssession of the properties described herein below in
of the said rules on the dates mentioned as below.
autioned not to deal with the properties and any
NCIERS LIMITED for an amount mentioned as

scription of Property	Date & Type of Possession
GRAM PANCHAYAT - MUNDA, ... HANUMANGARH ... ADMEASURING 3298	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 27 OCT 25
GRAM PANCHAYAT CHAK 2KSP ... ANGARH RAJASTHAN ... ADMEASURING 155.15 SQ.	SYMBOLIC POSSESSION TAKEN ON 27 OCT 25

18.05.1976 - 31.10....

Director General and all Ranks of Border Security Force remember its gallant Jawan Constable Umkeshwar Kadu on his Balidan Diwas. On this day, he sustained fatal bullet injuries while fighting militants in Rajouri area, J&K and made ultimate sacrifice in the line of duty.

CONSTABLE RAMCHANDER SINGH, PPMG
12.05.1956 - 31.10.1987

Director General and all Ranks of Border Security Force remember its gallant Jawan Constable Ram Chander Singh on his Balidan Diwas. On this day, he sustained fatal bullet injuries while fighting militants in Gurdaspur area, Punjab and made ultimate sacrifice in the line of duty. His sacrifice and gallant action have been aptly recognized by GOI by awarding him with PPMG (Posthumously).

COCHIN INTERNATIONAL AIRPORT LTD.

2025/CIVIL/659-B

TENDER NOTICE

31/10/2025

Item rate E-tenders are invited from reputed agencies for the work mentioned below at Cochin International Airport, Nedumbassery.

Name of work	Estimate Amount	EMD	Period of Completion
Landscape Design for Airport Approach Road Phase 1 - SH: Softscape & Irrigation Works.	9.30 Crores	₹18,00,000/- (₹18 lakhs through online payment)	8 months

For more details visit our website **www.cial.aero**

Sd/-
Managing Director

REGIONAL OFFICE
Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-Mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB/ RO Bundi/ PUB-157/1472

Date: 17/10/25

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया है श्री जय प्रकाश महर्षि, प्लॉट नं. 62(33), खनन क्षेत्र 62.3426 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 4,48,866.72 TPA (ROM), निकट ग्राम तालिबपुरा, अमीनपुरा, नवाबपुरा, तहसील-टोंक, जिला- टोंक (राज.) मय कुल कलस्टर क्षेत्रफल- 2055.36400 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 2,68,29,599.16 TPA (ROM) बजरी माइनिंग प्रोजेक्ट से सम्बन्धित प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति/ राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निधारण प्राधिकरण राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
2. चूंकि श्री जय प्रकाश महर्षि, द्वारा उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जनसुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एसओ 1533(ई) दिनांक 14.09.2006 एवं समय-समय पर संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3.उक्त परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख (हिन्दी व अंग्रेजी में) निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- i. कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक ii. कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक, जिला टोंक iii. कार्यालय महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला-टोंक iv. कार्यालय पंचायत समिति टोंक, तहसील एवं जिला- टोंक V. कार्यालय ग्राम पंचायत पालड़ा, तहसील-टोंक, जिला- टोंक iV. कार्यालय ग्राम पंचायत मेहन्दवास, तहसील-टोंक, जिला- टोंक Vii. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत संरकार, ए-218, अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर Viii. सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iX. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर । X. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी । Xi. कार्यालय खनि. अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, टोंक, जिला टोंक ।
अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक के पत्र क्रमांक-न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई / 2025/32815 दिनांक 16.10.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 06.12.2025 (शनिवार) को कार्यालय तहसीलदार टोंक, तहसील-टोंक, जिला- टोंक में समय प्रातः 11:00 बजे, उपस्थित होकर अपने लिखित एवं मौखिक आपत्ति/ आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस संबंध में आपत्ति/आक्षेप/ सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला- बून्दी में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

भवदीय (शिव कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.मं., बून्दी